न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 49/2025 G.C.M.S. No. 2025/637 दर्ज दिनांक : 16.10.2025

अपीलार्थिगण:

1. आशीष पुत्र वागारामजी जाति घाँची आयु वयस्क निवासी सिरोही, तहसील सिरोही।
2. कानाराम पुत्र ओटारामजी जाति घाँची आयु वयस्क निवासी सिरोही, तहसील सिरोही।
3. कालूराम पुत्र जैसारामजी जाति घाँची आयु वयस्क निवासी सिरोही, तहसील सिरोही।
4. बद्रीनारायण पुत्र पूनारामजी जाति घाँची आयु वयस्क निवासी सिरोही, तहसील सिरोही।
5. मगनलाल पुत्र चिमनारामजी जाति घाँची आयु वयस्क निवासी सिरोही, तहसील सिरोही।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. अमित जयंतिलाल कोठारी पुत्र श्री जयंतिलाल कोठारी जाति जैन आयु 46 वर्ष निवासी बिल्डिंग संख्या 85, कॉलोनी पदमावजी, निवास ऑप सैन्ट्रन बैंक, नवी पेठ, वी टी सी जलगाँव, जिला जलगाँव महाराष्ट्र।
2. उषाकुमारी पुत्री ओबारामजी जाति घाँची आयु वयस्क निवासी सिरोही, तहसील सिरोही।
3. कमलेश पुत्र वागारामजी जाति घाँची आयु वयस्क निवासी सिरोही,
4. कानाराम पुत्र मगनलालजी जाति घाँची आयु वयस्क निवासी सिरोही, तहसील सिरोही।
5. खुशाल पुत्र रेखा पुत्री ओटारामजी जाति घाँची निवासी सिरोही, तह० सिरोही।
6. जयंतिलाल पुत्र रेखा पुत्री ओटारामजी जाति घाँची निवासी सिरोही, तहसील सिरोही।
7. प्रकाश पुत्र ओटारामजी जाति घाँची आयु वयस्क निवासी सिरोही, तहसील सिरोही। 8. मगनीदेवी पत्नि मगनलालजी जाति घाँची आयु वयस्क निवासी सिरोही, तह सिरोही।
8. मगनीबाई पत्नी ओटारामजी जाति घाँची आयु वयस्क निवासी सिरोही तहसील सिरोही जिला सिरोही
9. मगनीबाई पत्नी ओटारामजी जाति घांची आयु व्यस्क निवासी सिरोही, तहसील सिरोही।
10. मोहनलाल पुत्र ओबारामजी जाति घाँची आयु वयस्क निवासी सिरोही, तहसील सिरोही।
11. रूचिका पुत्री वागारामजी जाति घाँची आयु वयस्क निवासी सिरोही, तहसील सिरोही।
12. रमेशकुमार पुत्र मगनलालजी जाति घाँची आयु वयस्क निवासी सिरोही, तहसील सिरोही।

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

13. हंजा पत्नी ओबारामजी जाति घाँची आयु वयस्क निवासी सिरोही, तहसील सिरोही
14. कोकुबाई पत्नी नतारामजी जाति घाँची आयु वयस्क निवासी सिरोही, तहसील सिरोही।
15. छगनलाल पुत्र नतारामजी जाति घाँची आयु वयस्क निवासी सिरोही, तहसील सिरोही।
16. दिनेशकुमार पुत्र नतारामजी जाति घाँची आयु वयस्क निवासी सिरोही, तहसील सिरोही।
17. पोसाराम पुत्र रूपाजी जाति घाँची आयु वयस्क निवासी सिरोही, तहसील सिरोही।
18. रमेशकुमार पुत्र नतारामजी जाति घाँची आयु वयस्क निवासी सिरोही, तहसील सिरोही।
19. लक्ष्मी पुत्री नतारामजी जाति घाँची आयु वयस्क निवासी सिरोही, तहसील सिरोही।
20. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, सिरोही, जिला सिरोही, राजस्थान

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 54/2025 बअनवान जयंतिलाल बनाम आशिष वगैरह में पारित आदेश दिनांक 12.09.2025

पैरोकारः–

1. श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री चेतन कुमार रावल, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 01।
3. श्री राजेश, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 19।

निर्णय

दिनांकः 28.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 54/2025 बअनवान अमित जयंतिलाल बनाम आशिष में पारित आदेश दिनांक 12.09.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने अपीलान्ट व अन्य रेस्पोंडेंट के विरुद्ध एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काशाकारी अधिनियम के तहत मातहत अदालत में प्रस्तुत किया था, जिसमें मातहत अदालत ने अपीलान्ट के विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलान्ट के खातेदारी की कृषि आराजी में से रास्ता दिए जाने के आदेश प्रदान किए है, रेस्पोडेंट संख्या एक के खातेदारी तथा कब्जा कास्त की कृषि आराजी मौजा माण्डवा, तहसील सिरोही में आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 1032/780 रकबा 0.8200 हैक्टेयर है, जिसमें से कोई आने जाने का रास्ता नहीं होना बताते हुए रेस्पोडेंट की कृषि आराजी में आने जाने हेतु अपीलान्ट के खातेदारी की कृषि आराजी खसरा संख्याः 784 व 789 में से रास्ता चाहने का

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

अभिवचन करते हुए रास्ते की मांग की तथा रास्ता दिलाए जाने का निवेदन किया है। अपीलान्ट ने मातहत अदालत में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने उपरोक्त आराजी को पुर्व खातेदार से मोल किमतन खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है। रेस्पोडेंट संख्या एक की आराजी में आने जाने हेतु मौके पर रास्ता उपलब्ध है, जो खसरा संख्या 787, 785, 784 व 1033/780 में से है, जिससे रेस्पोडेंट संख्या एक को रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है। खसरा संख्या 784 की आराजी के बीच में से होकर व खसरा संख्या 789 में से कोई रास्ता नहीं रहा है तथा न ही कभी भी रास्ते का उपयोग हुआ है। रेस्पोडेंट द्वारा सुगम रास्ता प्राप्त करने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किए है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा उक्त तथ्य को साबित नहीं किया है, फिर भी मातहत अदालत ने आदेश पारित किया गया है, जो गलत किया है। मौके पर वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 787, 785, 784 व 1033/780 में से की आराजी में से उपलब्ध होते हुए भी गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या एक व उसके सहखातेदारान् के खातेदारी की भूमि में आने जाने का रास्ता उपरोक्तानुसार मौके पर मौजुद है तथा रेस्पोडेंट संख़्या एक को रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्शित नहीं है तो भी उक्त खसरा संख्या 787, 785, 784 व 1033/780 खातेदारी भूमि से सीधा व सरल, नजदीकी रास्ता दिलाया जा सकता था, फिर भी गलत व विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर रास्ता दिया जा रहा है, जो सर्वथा गलत व विधि विरुद्ध है। पटवारी हल्का तथा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके की जाँच कर रिपार्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें मौके पर रास्ता बताया गया है, जो रास्ता मौके पर चालु होना भी दर्शित किया गया है, मातहत अदालत ने उक्त मौका रिपोर्ट से हटकर खसरा संख्या 1033/780 में से रास्ता नहीं देकर केवल मात्र अपीलान्टगण के खातेदारी की आराजी में से रास्ता दिया गया है, मातहत अदालत द्वारा उपरोक्त प्रथम मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रार्थनापत्र में चाहे गए रास्ते के अनुसार दुसरी मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, जिसे भी नजरअंदाज कर मौका रिपोर्ट के विपरित जाकर उक्त निर्णय पारित किया गया है, जो अपास्त किए जाने योग्य है।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने सरहद मौजा मांडवा तहसील सिरोही के खाता संख्या 325 खसरा संख्या 1032/780 की भूमि में आने–जाने हेतु के अप्रार्थी संख्या 01 से 23 के खसरा नम्बर 784 व 789 की भूमि में से रास्ते की मांग हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12.09.2025 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 784, 785 व 787 में से रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गयी।

2. प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 784 की आराजी के खातेदार ने आपसी विभाजन के दौरान खसरा संख्या 784 के मध्य से 30 फीट चौड़ा रास्ता जहां अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा चाहा गया है, छोड दिया है जिसका प्रस्ताव भी नजदीकी रास्ते के रूप में पत्रावली पर मौजुद है खसरा संख्या 789 के खातेदारान द्वारा भी अपनी आराजी में से 30 फीट चौड़ा रास्ता देना स्वीकार किया है जिसके एवज में खसरा संख्या 784 की भूमि के खातेदार समान क्षेत्रफल में खसरा संख्या 789 के खातेदारान को भूमि देगे। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा तहसील कार्यालय में जमा करवायी सम्पूर्ण राशि खसरा संख्या 784 के खातेदार प्राप्त करेगे। अतः राजीनामा अनुसार अपीलाधीन निर्णय अपास्त कर मामला रिमाण्ड करना फरमावे।

3. चूंकि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं अपीलांट द्वारा प्रकरण राजीनामें अनुसार निस्तारण के लिए अपीलाधीन निर्णय को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया है अतः ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः निर्णयन निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 54/2025 बअनवान अमित जयंतिलाल बनाम आशिष में पारित आदेश दिनांक 12.09.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को राजीनामा निष्पादित कर एवं रास्ते की भूमि के बदले समान रकबे की भूमि बतौर प्रतिकर प्राप्त करने के संबंध में विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का विधिक प्रक्रिया अनुसार अन्तिम निर्णयन किया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली